आईजीआरएस प्रा0 पत्र की निस्तारण आख्या

पुलिस अधीक्षक,
जनपद गोण्डा।

1.आईजीआरएस सन्दर्भ संख्या- 40018326022209

2.शिकायतकर्ता का नाम पता व मो0नं0–श्री सज्जाद हुसैन अधिवक्ता चैंबर नंबर- 515 ब्लाक C उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ मो0- **7080909786**

3.विपक्षी का नाम पता व मो0नं- पुलिस के विरुद्ध

4.दो गवाहो का नाम व मो0नं0- मुकदमा दर्ज

5.जांच करने वाले अधिकारी का नाम व पद- क्षेत्राधिकारी मनकापुर, जनपद गोण्डा।

6.शिकायतकर्ता के आरोप का विवरण- शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री सज्जाद हुसैन द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि थाना छपिया पर मु0अ0सं0-0221/2026 धारा 115(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट विधि-विरुद्ध रूप से पंजीकृत कर विवेचना की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उक्त धाराएँ गैर-संज्ञेय प्रकृति की हैं तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-174(2) के अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना विवेचना नहीं की जा सकती थी।

7.आवेदक का बयान- आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित समस्त आरोपों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि मु0अ0सं0-0221/2026 का पंजीकरण एवं विवेचना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के विपरीत की गई है। आवेदक ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, निलंबन तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की।

8.विपक्षी का बयान-निल

9.जांच का साराँश/निष्कर्ष – आवेदक श्री सज्जाद हुसैन अधिवक्ता चैंबर नंबर- 515 ब्लाक C उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों तथ्यों की जाँच की गई जांच के क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, मु0अ0सं0-0221/2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मूल तहरीर, केस डायरी, विवेचना अभिलेख, आरोप-पत्र तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रासंगिक विधिक प्रावधानों का परीक्षण किया गया।

अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि दिनांक 26.05.2026 को वादिनी श्रीमती विद्या देवी पत्नी द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम धुसवा (खपरीपारा), थाना छपिया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिनांक 25.05.2026 को विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए हाथ, लात एवं लाठी-डंडे से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना छपिया पर मु0अ0सं0-0221/2026 धारा 115(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश यादव द्वारा संपादित कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र किता किया गया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा यह विधिक आपत्ति उठाई गई कि उपरोक्त धाराएँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची के अनुसार गैर-संज्ञेय अपराध हैं तथा धारा-174(2) बीएनएसएस के अंतर्गत सक्षम मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नियमित एफआईआर पंजीकृत कर विवेचना किया जाना विधि-विरुद्ध है।

इस संबंध में उपलब्ध विधिक सामग्री एवं प्रचलित न्यायिक दृष्टांतों का भी परीक्षण किया गया। यह तथ्य संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या **777/8/94-(2)/87 दिनांक 31.07.1989** द्वारा तत्कालीन **धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** को उत्तर प्रदेश राज्य में संज्ञेय एवं गैर-जमानती घोषित किया गया था, जिसके संबंध में **MATA PRASAD UPADHYAY VS. STATE OF U.P., 1995 (1) JIC 1168** सहित अन्य न्यायिक निर्णयों में भी विचार किया गया है। तथापि वर्तमान प्रकरण भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने के उपरांत उत्पन्न विधिक व्याख्या से संबंधित विषय है, जिसके संबंध में अंतिम एवं बाध्यकारी निर्णय सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम विधिक प्राधिकारी द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

जांच में यह भी पाया गया कि अभियोग तत्कालीन उपलब्ध तथ्यों, प्रस्तुत तहरीर एवं उस समय प्रचलित विधिक समझ के आधार पर पंजीकृत किया गया तथा विधिवत विवेचना कर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आरोप-पत्र किता किया गया।

अतः शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न मुख्यतः **विधिक व्याख्या** एवं **प्रक्रियात्मक वैधता** से संबंधित है, जिसका अंतिम परीक्षण एवं निर्णय सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम विधिक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र का विषय है। यदि भविष्य में सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई भिन्न विधिक निष्कर्ष अथवा निर्देश पारित किए जाते हैं, तो उसका अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा ।

10.यदि मामला न्यायालय मे विवचाराधीन हो तो उसका विवरण– निल

11.यदि आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की गई हो तो उसका विवरण- निल

12.आरोप सिद्ध हो रहें हैं कि नही अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आया हो तो उसका विवरण- निल

13.सुलह समझौते की प्रति व अन्य अभिलेखीय साक्ष्य–

14.स्थलीय निरीक्षण की फोटो, देशांतर, अक्षांश, दिनांक व समय के साथ संलंग्न है या नही-

तदनुसार जाँच आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

दिनांकः जून 30, 2026

क्षेत्राधिकारी मनकापुर,
जनपद गोण्डा।